विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में पर्यवेक्षीय पदाधिकारियों को नगर कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति के संबंध में दिनांक 14.08.2015 को आयोजित बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– अनुलग्नक के अनुसार।

विकास आयुक्त–सह–अध्यक्ष के निर्देश के आलोक में प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बैठक की पृष्ठभूमि से सभी सदस्यों को अवगत कराया गया।

2. यह अवगत कराया गया कि नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों की अत्यधिक बड़ी संख्या में पद रिक्त होने के कारण नगर प्रशासन प्रभावित हो रहा है। इस दृष्टिकोण से नगर निकायों में नियमित कार्यपालक पदाधिकारियों की सेवा उपलब्ध कराने हेतु मुख्य सचिव के स्तर पर दिनांक 17.04.2015 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि विभिन्न विभागों के पर्यवेक्षीय पदाधिकारी, जो प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी के रूप में सेवा प्रदान करके विभाग में वापस लौटे हैं, उनसे ऑनलाईन आवेदन प्राप्त कर, संबंधित विभागों की सहमति प्राप्त करके, उनकी सेवा नगर विकास एवं आवास विभाग में ली जाय। इस प्रस्ताव पर नगर विकास एवं आवास विभाग के स्तर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त किया है।

3. इस क्रम में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा दिनांक 07.08.2015 तक ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किये गये थे। इस प्रक्रिया में कुल 356 आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे, जिसमें से 54 आवेदन पत्र दिनांक 31.12.2016 से पूर्व सेवानिवृत्त होने एवं अन्य कारणों से अलग कर दिये गये हैं। शेष 302 ऐसे पदाधिकारी हैं, जिन्हें नगर कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति पर लिया जा सकता है।

4. नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा ऐसे पदाधिकारियों की सूची विभागीय सहमति के लिए सभी संबंधित विभागों को पत्रांक 4098 दिनांक 12.08.2015 द्वारा प्रेषित की गयी

DK

है। आज उस पर सहमति के बिन्दु पर निर्णय लेने के लिए बैठक आयोजित की गयी है।

5. बैठक में सम्यक विचारोपरांत निम्नवत निर्णय लिये गये :–

(i) सभी प्रशासी विभाग, जिन पर्यवेक्षीय पदाधिकारियों की सेवा उपलब्ध कराने पर सहमति दे रहे हैं, उनके विरूद्ध आरोप का विवरण तथा आपराधिक मामला, यदि कोई हो तो विवरण अंकित करेंगे।

(ii) बैठक में निर्णय लिया गया कि ऑनलाईन आवेदकों में से सहकारिता विभाग द्वारा 64, श्रम संसाधन विभाग द्वारा 10, योजना एवं विकास विभाग द्वारा 10 एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 25 पर्यवेक्षीय पदाधिकारियों की सेवा उपलब्ध करायी जाएगी।

6. विभागीय प्रधान सचिवों द्वारा उक्तवत ऑनलाईन आवेदक अभ्यर्थियों की सूची एवं सेवा शीघ्र उपलब्ध कराने पर सहमति बनी। निर्णय लिया गया कि इस पर अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

24/8/15

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना

25/8/15

(प्रदीप कुमार)
सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना

25/8/15

(एस०के० नेगी)
विकास आयुक्त,
बिहार

ज्ञापांक–4384 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 26/8/15

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक–4384 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 26/8/15

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव, कृषि विभाग/प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग/प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग/सचिव, श्रम संसाधन विभाग/प्रधान सचिव, पंचायती राज बिभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/सचिव, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक–4384 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 26/8/15

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/उप सचिव (स्थापना) एवं सभी संबंधित पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव